संख्याः /I(2)/2018-07(1)/08/2009

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः /6 नवम्बर, 2018

विषयः– **आर0ई0सी0 एफ0 पी0एफ0सी0 पोषित परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1898/प्र0नि0/पिटकुल/जी–1 दिनांक 10.09..2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में रू0 47.00 करोड़ (सैतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 योजनाओं में व्यय हु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख में)

क0स0	योजना का नाम	धनराशि
1	आर0ई0सी0 चतुर्थ	153.89
2	आर0ई0सी0 षष्ठम	562.08
3	आर0ई0सी0 सप्तम	507.26
4	आर0ई0सी0 अष्ठम	508.43
5	आर0ई0सी0 चौदह	174.18
6	पी0एफ0सी0 तृतीय	1163.65
7	पी0एफ0सी0 चतुर्थ	587.66
8	आर0ई0सी0/पी0एफ0सी0 वित्त पोषित कैपिटल आर0एण्ड एम0 परियोजना	1042.85
कुल धनराशि		4700.00

1– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि आगामी पिटकुल की योजनाओं में ऋण : अंशपूजी 70:30 के स्थान पर 90 :10 रहेगा अर्थात भविष्य में अंशपूजी के बराबर धनराशि का ऋण प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

2– उक्त धनराशि का आहरण व व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजना/कार्यो के संबंध में विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। साथ ही आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 से समानुपाती रूप से ऋण भी अवमुक्त करा लिया जायेगा एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से यथा स्थिति स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक वित्त, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

.....2

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2019 तक तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न कर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

7– निगम इस सदृश लेखों का मिलान महालेखाकार से करा लेगें और उनसे प्रमाण पत्र लेकर शासन को उपलब्ध करायेगें।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु पिटकुल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21, के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4801–05–190–06 निवेश/ऋण पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश–30–निवेश/ऋण एवं अनुदान संख्या 30 के लेखाशीर्षक 4801–05–190–03–पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी–30–निवेश/ऋण एवं अनुदान संख्या 31 के लेखाशीर्षक 4801–05–190–02 के अन्तर्गत पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी –30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 290/XXVII(2)/2018, दिनांक 02 नवम्बर , 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(राधिका झा)
सचिव

संख्याः /851 I(2)/2018-07(1)/08/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिलिडिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (आडिट) इन्द्रानगर देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून,।
6– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।